प्राप्त अनुमोदनार्थ (93)

कार्यालय उपायुक्त–सह–जिला दंडाधिकारी,पलामू।

(नजारत शाखा)

समाहरणालय पलामू एवं परिसदन पलामू में बागवानी कार्य के लिए इच्छा की अभिव्यक्ति के तहत योजना प्रस्ताव आमंत्रण संबंधी सूचनाः–

समाहरणालय पलामू एवं परिसदन पलामू में बागवानी कार्य किया जाना है । उक्त कार्य में दोनो स्थानों पर लॉन एवं बगीचा तैयार करना, उसकी साफ–सफाई एवं रख–रखाव तथा बगीचा में फूल एवं घास लगाने का कार्य किया जायेगा, जिसके लिए अनुभवी स्वयंसेवी संस्थाओं / ऐजेंसी / प्रतिष्ठान से इच्छा की अभिव्यक्ति के तहत् योजना के प्रस्ताव(Proposal)की मांग की जाती है। दोनो योजनाओं के सफल संचालन हेतु 1389216.00 रू0 का आवंटन प्राप्त है। उक्त प्रस्ताव (Proposal) देने की शर्ते निम्नवत् हैः–

1. प्रस्ताव देने से पूर्व इच्छूक संस्थान / व्यक्ति को विषयांकित स्थल का निरीक्षण कर लेना आवश्यक् होगा।
2. इच्छूक संस्थान / व्यक्ति को राष्ट्रीय / राजकीय महत्व की योजना बडें लैंड स्केपकिंग की योजनाओं में निरूपण एवं निर्माण के कार्य से कम से कम 3 वर्षो का अनुभव होना चाहिए।
3. इच्छूक संस्थान को लैंड स्केपकिंग फव्वारा अधिष्ठापन सिंचाई प्रणाली अधिष्ठापन पार्क निर्माण इत्यादि में कार्य संबंधी आई0एस0ओ0 का प्रमाण –पत्र होना चाहिए।
4. संबंधित संस्थान लैंड स्केपकिंग वस्तुओं / बागवानी संबंधी सामनों के निबंधित निर्माणकर्त्ता होना चाहिए।
5. प्रस्ताव के साथ वैट निबंधन / आयकर से संबधित पैनकार्ड एवं सेवाकर निबंधन से संबंधित प्रमाण–पत्र / रिर्टन बगत 3 वर्षो का संलग्न करना आवश्यक होगा।
6. काली सूची में दर्ज नहीं होने का नोटरी पबलिक द्वारा सत्यापित शपथ पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।
7. इच्छूक संस्थान झारखंड राज्य में निबंधित है तो प्राथमिकता दी जायेगी।
8. सभी प्रस्ताव अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में दिनांक 15.07.16 को 1.00 बजे अपराह्न तक स्वीकार किये जायेगें तथा 15.07.16 को 3.00 बजे अपराह्न को प्रस्तावित या उनके प्रतिनिधि के समक्ष 3 खंड में प्रस्ताव खोला जायेगा।
   (क) तकनीकि बीड (ख) कन्सेप्ट एवं नक्शा (ग) वित्तीय बीड
9. वित्तीय बीड उन्हीं संस्थानों का खोला जायेगा जिनका तकनीकि बीड एवं कन्सेप्ट एवं नक्शा प्रस्तावति योजना के कार्य के अनुरूप हो।
10. संबधित संस्थान का एनुवल ट्रासंजेक्शन 15 लाख से कम न हो।
11. संबधित संस्थान किये जाने वाले कार्य का 3 वर्षो तक रख–रखाव सुनिश्चित करेगें।
12. बिना कारण बताये अभिव्यक्ति प्रस्ताव को रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

23.6.16

22/06/16
उपायुक्त, पलामू।

22.06.16
नजारत उप समाहर्ता,
22/6/16 पलामू

ज्ञापांक 89 / नजा0,दिनांक 22.06.2016

प्रतिलिपिः– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी,पलामू को सूचनार्थ। निदेश दिया जाता है कि जिला के बेबसाइट पर सूचना को अपलोड करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि– सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, पलामू को सूचनार्थ । निदेश दिया जाता है कि सूचना प्रसारण की व्यवस्था करना सुनिश्चित करें।

22/06/16
उपायुक्त, पलामू।

नजारत उप समाहर्ता,
22/6/16 पलामू

Sanjay 23/6/16